



2026:AHC:178873

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 8192 वर्ष 2026

कपिल कसाना

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आशीष कुमार सिंह, अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., कपिल त्यागी, सीताराम पटेल

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के अधिवक्ता श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, राज्य की ओर से एजीए श्री यज्ञवल्क पांडे और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री कपिल त्यागी की बातें सुनीं और अभिलेख पर मौजूद सभी दस्तावेजों को देखा।

यह आवेदक द्वारा दायर दूसरा ज़मानत प्रार्थना-पत्र है। मौजूदा आवेदक की पहले ज़मानत प्रार्थना-पत्र को इस न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना-पत्र संख्या 11242/2025 में 11.7.2025 को पारित एक विस्तृत आदेश के ज़रिए खारिज कर दिया था; इस आदेश की एक प्रतिलिपि ज़मानत प्रार्थना-पत्र के साथ अनुलग्नक-1 के तौर पर अभिलेख पर लगाई गई है।

आवेदक कपिल कसाना ने यह दूसरा ज़मानत प्रार्थना-पत्र दायर किया है, जिसमें अवर न्यायालय में विचारण चलने के दौरान आपराधिक वाद संख्या 611/2023 में धारा 147, 148, 149, 302, 404, 120-ख, 34 भादंसं, धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम और धारा 3/25 आयुध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम, थाना टीलामोड, ज़िला गाज़ियाबाद के अंतर्गत ज़मानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

इस दूसरे ज़मानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने पहले ज़मानत प्रार्थना-पत्र में दिए गए सभी तर्कों को फिर से दोहराया है, जिनका यहाँ दोबारा ज़िक्र करना न्यायालय के लिए ज़रूरी नहीं है।

आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इस आपराधिक वाद संख्या में झूठा फँसाया गया है और वह 24.10.2023 से जेल में बंद है।

आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन पक्ष ने कुल 48 साक्षियों को अभियोजन साक्षी के तौर पर पेश किया है। अब तक, अभियोजन पक्ष ने केवल छह साक्षियों से पूछताछ की है। आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन पक्ष के मामले से यह पता चला है कि मृतक प्रमोद कसाना उर्फ लालू पर तीन लोगों ने गोली चलाई थी, जिनमें आवेदक भी शामिल था। हालांकि, दो अन्य सह-आरोपियों, यानी सचिन और परवीन को इस न्यायालय की ही एक दूसरी पीठ ने पहले ही ज़मानत दे दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, जो मुख्य साक्षी हैं, से विचारण न्यायालय पहले ही पूछताछ कर चुका है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कुंती, जो मृतक की पत्नी हैं, विचारण न्यायालय के सामने अपना बयान देने के लिए नहीं आ रही हैं और न्यायालय में पेश होने से बच रही हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि चूंकि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और तीसरे साक्षी सुभाष (अ.सा.-3) से विचारण न्यायालय पहले ही पूछताछ कर चुका है, इसलिए साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गोकराकोंडा नागा साईबाबा बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018 (12) उच्चतम न्यायालय वाद 505** के मामले में कहा है कि चूंकि सभी ज़रूरी साक्षियों से पूछताछ और जिरह हो चुकी है, इसलिए याचिकाकर्ता की ज़मानत का विरोध नहीं किया जाना चाहिए था, खासकर याचिकाकर्ता की चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस न्यायालय की ही एक दूसरी पीठ के **आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना-पत्र संख्या 19170/2025 (विकास कंजाड बनाम यूपी राज्य) पर 14.10.2025**



को निर्णीत में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया है।, जिसमें इस न्यायालय की एक पीठ ने कहा:-

“103.

.....

XI. अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयानों में कई अहम विरोधाभास बताए गए और ऐसी कमियां पहचानी गईं जो अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती हैं। हालाँकि, यह न्यायालय साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं करना चाहता क्योंकि इससे विचारण पर असर पड़ सकता है। अगर इस मामले के तथ्यों के आधार पर आवेदक को ज़मानत नहीं दी जाती है, तो दंप्रस की धारा 313 और धारा 233 के तहत कार्यवाही सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी, क्योंकि आवेदक अपने बचाव में सबसे अच्छे साक्ष्य पेश नहीं कर पाएगा।

XII. आवेदक को लगातार जेल में रखने से वह बचाव की असरदार रणनीति नहीं बना पाएगा और न ही अपने पक्ष में साक्ष्य इकट्ठा करके अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए विचारण न्यायालय के सामने पेश कर पाएगा। आवेदक को और जेल में रखने से विचारण में उसके बचाव पर बुरा असर पड़ेगा और यह आपराधिक प्रक्रिया विधि में निष्पक्षता के नियमों के खिलाफ होगा। असल में, इन तथ्यों के आधार पर आवेदक को जेल में रखना सज़ा देने जैसा होगा।

.....

.....”

आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक अब तक कुल दो साल 10 महीने जेल में बिता चुका है। इस बात पर विधि तय है कि विचारण खत्म होने के इंतज़ार में आरोपी-आवेदक को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। चूँकि विचारण खत्म होने में अभी काफी समय लगेगा, इसलिए **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब एआईआर 2021 उच्चतम न्यायालय 712** मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए आरोपी-आवेदक को ज़मानत दी जा सकती है।



आवेदक के अधिवक्ता ने अन्यत्र उपस्थिति की अभिवाक् का तर्क देते हुए भी जमानत प्रार्थना-पत्र पर जोर दिया है। उनका कहना है कि घटना के समय आवेदक मेरठ के सिवाया टोल प्लाज़ा के सीसीटीवी फुटेज से यह साबित होता है कि वह घटना वाली जगह पर नहीं था।

आवेदक के खिलाफ आपराधिक इतिहास के 09 मामले हैं, जिनका पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है और जमानत पर रिहा होने पर उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

माननीय एजीए और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि आदेश पत्र से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आरोपी जानबूझकर कार्यवाही में देरी करने के लिए टालमटोल के तरीके अपना रहे हैं और बार-बार स्थगन की मांग कर रहे हैं। आवेदक और सह-आरोपी अभियोजन पक्ष के साक्षियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष के मुख्य साक्षियों, जिनमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी शामिल हैं, ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और आवेदक तथा सह-आरोपियों के खिलाफ गवाही दी है। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा दायर पहले जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के समय अन्यत्र उपस्थिति की अभिवाक् के तर्क पर पहले ही विचार किया जा चुका है। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि एक बार जब विचारण शुरू हो जाता है, तो इसे अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने दिया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषसिद्धि होगी या दोषमुक्ति होगी। अपनी बात के समर्थन में, उन्होंने **एक्स बनाम राजस्थान राज्य 2024 आईएनएससी 909** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है, जिसके प्रस्तर 16 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:-

"16. हमारी राय है कि अवर न्यायालयों को ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए।

एक बार जब सुनवाई शुरू हो जाती है, तो इसे अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने दिया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है या बरी किया जा सकता है। जिस क्षण उच्च न्यायालय पीड़ित के बयान को देखकर आरोपी के पक्ष में अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देता है, तो पीड़ित के मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय लंबित सुनवाई पर इसका अपना प्रभाव पड़ेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



केवल तभी, जब सुनवाई में अनुचित देरी हो और वह भी आरोपी की गलती के बिना, तो न्यायालय इस आधार पर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश देने में सही हो सकता है कि आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ है।"

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि मृतक की पत्नी, करुणा उर्फ कुंती का बयान अभी दर्ज नहीं किया गया है। दंप्रस की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में, उन्होंने पूरी घटना और उस तरीके के बारे में बताया है जिससे उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपने बयान में उन्होंने खास तौर पर कहा कि जिसमे से पहली गोली कपिल ने अपनी पिस्टल से शरीर के पीछे गर्दन में मारी व बाकी गोलिया तीन अन्य ने मारी....."। उनका बयान चिकित्सीय साक्ष्यों से पूरी तरह मेल खाता है और शव परीक्षण आख्या में चोटों में से एक को इस तरह बताया गया है: "i. दाहिनी तरफ पीठ के ऊपरी हिस्से ऑक्सिपिटल क्षेत्र पर गोली लगने का घाव (0.75 सेमी x 0.75 सेमी) है, जिसके चारों ओर काले निशान हैं और खून बह रहा है; बाईं ओर स्कैपुला क्षेत्र में, बाएं कान से 10 सेमी ऊपर, गोली निकलने का घाव (14 सेमी x 1 सेमी) है।" शिकायतकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि इन बातों को देखते हुए, इस स्तर पर दंप्रस की धारा 161 के तहत करुणा उर्फ कुंती के बयान को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष के साक्षी के साथ छेड़छाड़ की पूरी संभावना है।

मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनी है और अभिलेख देखे हैं।

अभिलेख देखने से पता चलता है कि आरोपी पर मृतक प्रमोद कसाना पर गोली चलाने का आरोप है। चिकित्सीय आख्या अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करती है, जिसमें करुणा उर्फ कुंती का बयान भी शामिल है। दूसरे जमानत प्रार्थना-पत्र पर विचार करते समय अन्यत्र उपस्थिति की अभिवाक् के तर्क पर विचार नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब पहले जमानत प्रार्थना-पत्र पर फैसला करते समय इस पर पहले ही विचार किया जा चुका हो।

यह मामला अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयान दर्ज करने के स्तर पर है और अभियोजन पक्ष के साक्षियों के तौर पर शामिल 48 साक्षियों में से केवल छह साक्षियों से पूछताछ की गई है।

विकास कंजाड (ऊपर) के मामले में आरोपी को जमानत की रियायत तब दी गई थी जब मामला दंप्रस की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज करने की स्तर पर था। यह मामला अभी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है, इसलिए विकास कंजाद (ऊपर) मामले में दी गई राहत इस मामले में आवेदक को नहीं दी जा सकती।

मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, *एक्स बनाम राजस्थान राज्य* मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किए गए विधि और आवेदक की भूमिका को देखते हुए, आवेदक को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता है।

इसलिए, जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अगस्त 19, 2026

रवि प्रकाश